## Disallohed 15/07/2011

## विवरणी

9/0/21

हारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम स्मारोर । खाता रे ० २५। क्रांत रहे० - खावा । ठ.०७७० वर्ष का लाग्रीन रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान किस्ती ने भी प्रपता लिखित विषयगत विषयगत स्मार्थ के अतिरिक्त विषयगत विषयगत स्मार्थ से अतिरिक्त विषयगत स्मार्थ से अतिरिक्त विषयगत स्मार्थ से संबंधित की र दस्तालेख नहीं है। राजस्व

उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में संदिग्ध / अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार के स्थाप के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार के नाम से जमाबन्दी रद करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विधि लेल हों। अस्त क्यों से स्पष्ट है कि विधि लेल हों। अस्त विधि के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी

संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :--

414.47 0144 on 1 19.1.1					
मौजा	थाना	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	
11011	संख्या				
			1	5	
1	2	3	4		
समसेरा	67	251	-	0.97	i o

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित अंचले अधिकारी, अंचल अधिकारी, बोर्लबर्स्स् रेग्रिय